लिंग समभाव आणि महिला सक्षमीकरण

मुख्य संपादक
प्राचार्य डॉ. अशोक खरात

संपादक
प्रा. कांतीलाल सोनवणे
प्रा. अतिष मेश्राम
डॉ. प्रियंका सुलाखे

अथर्व

Scanned with OKEN Scanner

(10)

अथर्व पब्लिकेशन्स

लिंग समभाव आणि महिला सक्षमीकरण

Gender Equality and Women Empowerment

© सुरक्षित

ISBN : 978-93-87129-94-8

Book No. : 603

प्रकाशक

युवराज भटू माळी

अथर्व पब्लिकेशन्स

धुळे : १७, देवीदास कॉलनी, वरखेडी रोड, धुळे ४२४००१.

संपर्क : ९४०५२०६२३०

जळगाव : तळमजला, ओम हॉस्पिटल, अँग्लो उर्दू हायस्कूलजवळ, ढाके कॉलनी, जळगाव ४२५००१. संपर्क : ०२५७-२२३९६६६, ९७६४६९४७९७

ई-मेल : atharvapublications@gmail.com

वेबसाईट : www.atharvapublications.com

प्रथमावृत्ती : २० ऑक्टोबर २०१८

अक्षरजुळवणी : अथर्व पब्लिकेशन्स

मूल्य : ६९५/-

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी www.atharvapublications.com

निजामपूर-जैताणे शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आदर्श कला महाविद्यालय, निजामपूर-जैताणे येथे दि. २० ऑक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रातील निवडक लेख.

या पुस्तकात समाविष्ट लेखांचे हक्क ज्या-त्या लेखकांकडे असून त्यांच्या मताशी मुख्य संपादक, संपादक मंडळ, प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही. सर्व हक्क राखून ठेवले आहेत.

Scanned with OKEN Scanner

- स्त्री–पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण ३२६
  – प्रा. सुनिता संतोष पवार
- स्त्री सबलीकरणातून वाढलेला खान्देशातील ग्रामीण ३२९
  व आदिवासी महिलांचा राजकीय सहभाग
  – प्रा. विजय पंडित सुर्यवंशी
  – प्रा.डॉ. सुरेंद्र अंबर मोरे
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीच्या ३३५
  सद्य:स्थितीचे अध्ययन
  – प्रा.डॉ. रघुनाथ महाजन
  – प्रा. पुंडलिक खांडेकर
- वडार समाजातील महिलांच्या समस्यांचे अध्ययन ३३८
  – भामरे कल्पेश अमृत
  – जाधव तुषार भगवान
- आंतरजातीय विवाहाबाबत युवतींच्या मतांचे अध्ययन..... ३४३
  – प्रा.डॉ. संजीव पगारे
  – उफाडे गणेश सुनिल
- भारतीय संविधान और महिला संरक्षण ३४७
  : संवैधानिक एवं विधिक उपबंध
  – प्रा. अल्पना वैद्य
- सशक्त स्त्री एवं संरक्षण प्रावधान ३५१
  – डॉ.एस.के. गोयल
- भारत की प्रसिद्ध हरित योद्धा पर्यावरणविद ३५६
  – डॉ. परविंदर कौर खनूजा
- महिला सशक्तीकरण की दिशा में समावेशी लोकतंत्र ३५९
  का योगदान
  – प्रा.डॉ. भामरे नानाजी दगा
- मृदुला गर्ग के उपन्यासों में नारी सबलीकरण ३६५
  – डॉ.प्रा. वनिता त्र्यंबक पवार
- महिला – सशक्तिकरण और वर्तमान स्थिती ३७०
  – डॉ. करुणा दत्तात्रय अहिरे

Scanned with OKEN Scanner

महिला – सशक्तिकरण और वर्तमान स्थिती

– डॉ. करुणा दत्तात्रय अहिरे
श्रीमती विमलबाई उत्तमराव पाटील कला व
वी.डॉ.बी.एस. देसले विज्ञान महाविद्यालय, साक्री, जिला धुलियाँ

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को उत्पीडन व शोषण से मुक्त करती है। यह महिलाओं के चहुँमुखी विकास का माध्यम है। यह महिलाओं की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में भागीदारी पर बल देने की प्रक्रिया है तथा समाज में महिलाओं को समानता दिलाने का माध्यम है, महिलाओं के सम्मान व गरिमा को संरक्षित करने पर बल देता है। यह मुख्य रुप से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रुप से मजबुत करने से संबंधित है, जिससे वे स्वावलंबी होकर पुरुषों के समान राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता दें।

इक्कीसवीं सदी के शुरुआत में नारी मुक्ति आंदोलन खुद को एक नए मोड पर खडा पा रहा है। बाजारवाद और खुली अर्थव्यवस्था ने स्त्री-पुरुष संबंधों के समीकरण को प्रभावित करना शुरु कर दिया है। इसके ठोस प्रमाण अब खुलकर सामने आने लगे हैं महिलाएँ समाज में अपनी स्थिति, अधिकारों और समस्याओं का लेकर अधिक मुखरित हुई है। ३५ साल पहिले यानि ८० के दशक में नारीवादी आंदोलन को कुछ अवरोधों का सामना करना पडा था। महिलाऐं स्वयं को 'नारीवादी' या नारी मुक्ति का पक्षधर कहलानें में सकुचाने लगी थी, लेकिन पिछले २५ सालें में यह तस्वीर कुछ बदली है। केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं राजनितीक व आर्थिक क्षेत्र में भी स्त्रियों के 'कोट' और 'पोस्ट' के महत्त्व को लगातार मान्यता मिल रही है। हमारे अपने देश में भी महिलाएँ न केवल अपने काम में सत्ता व अधिकार हासिल कर रही है, बल्कि इससे भी अहम बात यह है कि वे अपने अधिकारों और शक्ति के प्रति जागरुक हो रही है।

आज भी नारीवादी सोच में पहले की अपेक्षा काफी बदलाव आया है। वास्तव में ७० के दशक में किए स्त्री संघर्ष का ही परिणाम है कि स्त्री आज सबलीकृत होने का दावा कर रही है। आज यौनवाद, जाति और वर्गवाद की समस्याओं पर स्त्री ज्यादा सशक्त रुप से बोल पा रही है। मानव अधिकार के लिए किए गए अन्य संघर्षो में पुरुषो के साथ स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर आगे जा रही है।

हमारे देश में महिलाओं को सशकत व सबल बनाने के लिए अनेक सकारात्मक प्रयास भी किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद १४ व १५ में नारी

Scanned with OKEN Scanner

हितों को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद ५१(क) में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक नागरिको का यह वैधानिक दायित्व है कि वह महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि का विरोध करे। महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति सरकार द्वारा २० मार्च २००१ को लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को प्रगति, विकास व सशक्तीकरण निश्चित करना व महिलाओं के साथ हर प्रकार का भेदभाव समाप्त कर सुनिश्चित करना कि जीवन के हर क्षेत्र व गतिविधि में खुलकर वे भागीदारी करें। भारत में सन २००९ को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रुप में मनाया गया। १५ अगस्त २००१ को ऋण योजना शुरु की गई, जो १५-१८ की किशोरियों के लिए बनाई गई। महिलाओं व बच्चों के समुचित विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सन १९८५ में 'महिला व बाल विकास विभाग' की स्थापना की गई। इसी विभाग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर 'राष्ट्रीय महिला आयोग' व 'राष्ट्रीय महिला कोष' की स्थापना हुई। महिला हितों के लिए १९८७ में स्टेप कार्यक्रम शुरु किया गया। अनेक एन.जी.ओ. भी महिला सुधार के लिए आगे आए। १९९७ में बालिका समृद्धि योजना शुरु की गई। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम २००५ बनाया गया। महिलाओं के लिए कंप्युटर बेसिक कोर्स की प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई। राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना भी शुरु की गई।

भारत में महिलाओं के सम्मान और समानता की। विचारधारा उतनी ही सशक्त रही है जितनी कि इनके साथ असमानता और अपमान की। आज स्थितियाँ पहले से काफी बदल गई है। आज कौनसा ऐसा कार्य है, जो आधी आबादी ने नही कर दिखाया। ७३ वें ७४ वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियमित होने के बाद महिलाओं की आवाज इस मुद्दे पर और सशक्त हो चली है कि धरातलीय संस्थानों में तो महिलाओं के लिए आरक्षण है किंतू समाज में धरातलीय परिवर्तन लाने वाली संस्था संसद व विधानसभा में आखिर ऐसा क्यों नही? वस्तूत: महिलाओं के उत्थान के लिए यह विधेयक अहम है। प्रतिनिधित्व से लडकियों के समक्ष महिलाओं के रुप में एक नया रोल मॉडल पेश हो सकेगा, जिसका सकारात्मक असर महिला सशक्तिकरण आंदोलन तथा जागरुकता पर पडेगा। महिलाओं की आधी आबादी होने के नाते नीति निधारण में उनकी समुचित समानुपातिक तथा सकारात्मक भूमिका भी अति आवश्यक है। तभी महिला-पुरुष के बीच की खाई को समतल करने कि दिशा में आगे बढा जा सकता है। वस्तुत: महिलाओं की संख्या संसद या विधानसभाओं में इसलिए नगण्य है, क्योंकि कोई भी दल उन्हे टिकट नही देना चाहता अत: आरक्षण द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

सभी दलों द्वारा महिलाओं के चुनाव का समर्थन करना सुनिश्चित हो सकेगा।

सशक्तीकरण के प्रयासों का प्रभाव नारी समाज पर कुछ तो परिलक्षित हुआ है। पहले की अपेक्षा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ी है। उन्होंने आज पुरुषों के वर्चस्व को तोडा भी है और पुरुषप्रधान समाज का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट भी किया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ऐसी महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ऐसा नही है कि प्रगति नही हुई लेकिन यह प्रगति संतोषजनक भी नही की जा सकती।

आज महिलाओं की सशक्तिकरण में कई बाते आवरोधक बन रही है। जैसे - उनके परिवार का ढाँचा उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभुमि, सरकारी प्रयासों को संदिग्धता खानापुर्ति की प्रवृत्ति, कागजी औकडे, आर्थिक पराधीनता, स्वावलंबी न होना, निरक्षरता, सामाजिक जीवन में भागीदारी के प्रति उदासीनता, राष्ट्रीय मामलों में रुचि न होना, लिंग के आधार पर परिवार में भेदभाव होना आदि। महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता लाने के लिए अपितू स्थायी व सुदृढ आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए भी जरुरी है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ व शक्तिशाली बनाते हुए सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है।

आज महिलाओं को सशक्त व समान वनाने के लिए अभी और सरकारी व सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भसूची

१. परिक्षा मंथन समसामयिक निवंध २००९.
२. डॉ. ज्ञानप्रकाश गौतमक, 'महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण', कला प्रकाशन, २००९.
३. 'भारत का संविधान', डी.डी. वसू.
४. उमर फारुकी, 'महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की भूमिका', कुरुक्षेत्र (हिंदी मासिक पत्रिका), अक्टुवर २०१०, पृ.३३.
५. डॉ. अर्चना सिन्हा, समाजविज्ञान शोध पत्रिका २०११-१२.

Scanned with OKEN Scanner